



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1370]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 27, 2015/ आषाढ़ 6, 1937

No. 1370]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 27, 2015/ASHADHA 6, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2015

**का.आ. 1741(अ).**—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसको केंद्रीय सरकार का पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 कर 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पूर्व पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 6 जनवरी, 2011 की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का. आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 के रूप में प्रकाशित की गई थी, संशोधन करने के लिए जारी करने का प्रस्ताव है, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है, जिसके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त अधिसूचना पर केंद्रीय सरकार द्वारा, उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तारीख से साठ दिन की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, अलीगंज, नई दिल्ली-110 003 के पते पर अथवा इलैक्ट्रानिक माध्यम से ई-मेल [bsinha92@gmail.com](mailto:bsinha92@gmail.com) के माध्यम से भेजे जा सकते हैं ;

ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पूर्व प्राप्त हों, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

### प्रारूप अधिसूचना

भारत सरकार के पूर्व पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 6 जनवरी, 2011 की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का. आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 के रूप में प्रकाशित की गई थी में,—

(अ) पैरा 3 के उपपैरा (iv) की मद (क) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(क) जो पत्तन, बंदरगाह, जैटी, भरणाट, घट्टी, जलावतरण मंच, पुल, सागर-लैंक, महाराव पर सड़क, जल के वारीय प्रवाह को प्रभावित किए बिना भूतल पर पुनरावर्तित सड़क जैसी अग्रतट सुविधाओं और ऐसी सुविधाओं, जो रक्षा और सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए अभिप्रेत हों और ऐसी अन्य सुविधाओं, जो अधिसूचना के अधीन अनुज्ञेय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य हों, की स्थापना, सन्निर्माण या उनके आधुनिकीकरण या विस्तार के लिए अपेक्षित हों :

परंतु ऐसी सड़कों को, ऐसी सड़कों के स्थलीय दशा की ओर के अनुज्ञेय विकास के लिए उच्च ज्वरीय पथ के विद्यमान रहने तक प्राधिकृत सड़कों के रूप में नहीं माना जाएगा।";

(आ) पैरा 4 के उपपैरा (i) की मद (च) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(छ) तटीय विनियमन क्षेत्र में पुनरूद्धार के रूप में सड़क का सन्निर्माण केवल उन अपवादिक मामलों में किया जाएगा, जिनकी संबंधित तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण द्वारा सिफारिश की गई हो और जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित हो ; और यदि ऐसी सड़क का सन्निर्माण कार्य आम्रवनों से होकर गुजरता है या जिससे आम्रवनों को नुकसान पहुंचने की संभावना है, तो सन्निर्माण कार्य के दौरान नष्ट हुए या काटे गए आम्रवनों की संख्या का तीन गुना आम्रवनों का रोपण किया जाएगा।"

[सं. जे-17011/18/96-आई.ए.-III]

विश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 के रूप में प्रकाशित की गई थी और उसे तत्पश्चात् निम्नलिखित रूप में संशोधित किया गया :

1. का.आ. 2557(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013
2. का.आ. 1244(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2014 ;
3. का.आ. 3085(अ), तारीख 28 नवंबर, 2014 ;
4. का.आ. 383(अ), तारीख 4 फरवरी, 2015 ;
5. का.आ. 556(अ), तारीख 17 फरवरी, 2015 ; और
6. का.आ. 938(अ), तारीख 31 मार्च, 2015 ।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th June, 2015

**S.O. 1741(E).**—The following draft of the notification which the Central Government proposes to issue, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, further to amend the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest dated the 6<sup>th</sup> January, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) vide S.O. 19(E), dated the 6<sup>th</sup> January, 2011, for the information of the public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said notification will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of sixty days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi – 110003 or be send electronically through email at [bsinha92@gmail.com](mailto:bsinha92@gmail.com);

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft of the notification before the expiry of the period specified above, shall be considered by the Central Government.

**Draft Notification**

In the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, dated the 6<sup>th</sup> January, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 19(E), dated the 6<sup>th</sup> January, 2011 –

(A) in paragraph 3, in sub-paragraph (iv), for item (a), the following item shall be substituted, namely:-

“(a) required for setting up, construction or modernisation or expansion of foreshore facilities like ports, harbours, jetties, wharves, quays, slipways, bridges, sealink, road on stilt, road on reclaimed surface without affecting tidal flow of water, and such as meant for defence and security purpose and for other facilities that are essential for activities permissible under the notification:

Provided that such roads shall not be taken as authorised road for permitting development on landward side of such roads till existing High Tide Line.”;

(B) In paragraph 4, in sub-paragraph (i), after item (f), the following item shall be inserted, namely:-

“(g) construction of road by way of reclamation in Coastal Regulation Zone area shall be only in exceptional cases, to be recommended by the concerned Coastal Zone Management Authority and approved by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change; and in case the construction of such road is passing through mangroves or likely to damage the mangroves, three times the number of mangroves destroyed or cut during the construction process shall be replanted.”.

[No. J-17011/18/96-IA.III]

BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O 19(E) dated the 6<sup>th</sup> January, 2011 and subsequently amended as follows:-

1. S.O. 2557 (E), dated the 22<sup>nd</sup> August, 2013;
2. S.O. 1244 (E), dated the 30<sup>th</sup> April, 2014;
3. S.O. 3085 (E), dated the 28<sup>th</sup> November, 2014;
4. S.O. 383 (E), dated the 4<sup>th</sup> February, 2015;
5. S.O. 556 (E), dated the 17<sup>th</sup> February, 2015; and
6. S.O. 938 (E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2015.